



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, मन्दाइन, (करोली)
जिला - करोली
जाति प्रमाण - पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्थान विभाग/जाति का प्रमाण-पत्र (अ.जा./अ.ज.वा.)/18145259218
दिनांक: 13-11-2018
आवेदन का आधार नम्बर: 616642020987
आवेदक/परिवार के बुचिना का धामसाह साई संख्या: 1435-18CO-13871

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री शिवकुमारी मीना पुत्र/पुत्री श्री कमल सिंह मीना गांव/नगर धाम पोस्ट मुरटह तहसील मंडरावल जिला करोली जिला /डिवीजन करोली राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 9 MINA (9 मीना) जाति/समुदाय का/की है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) अधिसू 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) अधिसू 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) अधिसू 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) अधिसू 1951, अनुसूचित जाति वक्ता अनुसूचित जनजाति सूचिका (संघोपन) अधिसू 1956, सर्वोच्च न्यायालय अधिसूचना 1960, नवराज मुन्नायन अधिसूचना 1966, विरासत प्रदेश राज्य अधिसूचना 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिसूचना 1971 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिसूचना अधिसूचना अधिसूचना 1976 द्वारा तथा संशोधित संविधान (नवम् व कार्यालय) अनुसूचित जाति अधिसू 1976, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिसू (संघोपन) अधिसूचना 1976 द्वारा तथा संशोधित संविधान (संघोपन तथा निकालकर द्विप समूह) अनुसूचित जनजाति अधिसू 1959, संविधान (संघोपन तथा नगर हस्ताक्षर) अनुसूचित जाति अधिसू 1962, संविधान (संघोपन) अधिसू 1962, संविधान (संघोपन) अनुसूचित जाति अधिसू 1964, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) अधिसू 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीऊ) अनुसूचित जाति अधिसू 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीऊ) अनुसूचित जनजाति अधिसू 1968, संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति अधिसू 1970

सुश्री शिवकुमारी मीना गांव/नगर धाम पोस्ट मुरटह तहसील मंडरावल जिला करोली जिला / डिवीजन करोली राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में समान्यतया रहता / रहती है।

नों

1. यह प्रयोग साधारणतः करोली का अर्थ नहीं होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के प्रादेशिक न्याय अधिकाधिकारी विभाग की अधिसूचना स एच 21(37) एच एमई, सम्पु./ई बी/08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जारी प्रकाश-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र सिविलिक द्वारा उपनयन कराये गये ई-दस्तावेज के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेज की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकता।
4. इसी द्वारा प्रस्तुत किये गए फुल आवेदन पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेजों के सम्बन्धित स्टल अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में प्रिडिक्शन/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये वाज्य है।
6. धार्मी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सम्बन्धन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION में Online बर्यापित किया जा सकता है। टोलन संख्या: 180151080652

उपखण्ड अधिकारी, मन्दाइन, (करोली)

Signature valid

17860531
Digitally signed by Mohan Choudhary
Designation: SUB REGIONAL
OFFICER
Date: 2018.11.13 10:06:40 IST

